

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर,

गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा नगरों की सम्पत्तियों का

आबंटन/नीलामी

आबंटन/नीलामी दि. 29.01.2013, समय : प्रातः 10.30 बजे

-: स्थल :-

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
जवाहर नगर, वाराणसी

| भवनों / भूखण्डों का प्रकार / सं० | संख्या | क्षेत्रफल वर्गमी० में | आरक्षित दर (प्र०व०मी०) / अनु०मी० फ्री-होल्ड सहित (रु० लाख में) | टोकन मनी / पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में) |
|--|--------|-----------------------|--|---|
| नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां | | | | |
| भरतपुरी योजना, गोण्डा | | | | |
| अ० भू०- पी-1117-1118 के बीच लगी अतिरिक्त भूमि 01 | | | 108.00 | 4704.00 |
| सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर | | | | |
| आ० भू०- डी-10 | 01 | | 232.00 | 8288.00 |
| आ० भू०- डी-2 / 1 | 01 | | 255.00 | 8288.00 |
| डोमरोली योजना, मिर्जापुर | | | | |
| दु०आ० वर्ग- 319 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि | 01 | | 42.43 | 6150.00 |
| झूसी योजना संख्या - 3, इलाहाबाद | | | | |
| दु०आ० वर्ग- 6 / 137 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि | 01 | | 24.95 | 7840.00 |
| पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी | | | | |
| आ०भू०- 2 सी०-134 | 01 | | 123.79 | 9365.00 |
| नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां | | | | |
| कबीर नगर योजना, वाराणसी | | | | |
| दुकान-एस०- 1 / 11 | 01 | | 7.17 | 10.76 |
| हरपुर योजना, बलिया | | | | |
| व्य०भू० -2बी / सी०पी०- 2 | 01 | | 92.40 | 16352.00 |
| रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर | | | | |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 1 | 01 | | 66.33 | 16576.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 2 | 01 | | 64.64 | 16576.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 3 | 01 | | 71.74 | 16576.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 4 | 01 | | 80.89 | 16576.00 |
| शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर | | | | |
| दु०एल०जी०एफ०एस- 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 08 | | 9.633 | 7.25 |
| दुकान-यू०जी०एफ०एस- 8, 9 | 02 | | 9.633 | 4.74 |
| दुकान-एल०जी०एफ०एस- 7 | 01 | | 9.922 | 4.86 |
| दुकान-एल०जी०एफ०एस-1, 6, 7, 12 | 04 | | 9.922 | 7.42 |

| सम्पत्तियों का प्रकार / सं० | संख्या | क्षेत्रफल वर्गमी० में | आरक्षित दर / अनु०मी० फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी०) | टोकनमनी / पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में) |
|---|--------|-----------------------|---|--|
| नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां | | | | |
| पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी | | | | |
| कम्युनिटी सेन्टर- 3ए-2 (लीज पर) | 01 | | 3053.68 | 9365.00 |
| कम्युनिटी फैंसिलिटी- 1(लीज पर) | 01 | | 1031.19 | 12768.00 |
| कम्युनिटी फैंसिलिटी- 2 (लीज पर) | 01 | | 1480.00 | 12768.00 |
| अवधपुरी योजना, फैजाबाद | | | | |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०-6ए, 7 | 02 | | 368.50 (प्रति) | 9408.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 6बी | 01 | | 243.81 | 9408.00 |
| शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर | | | | |
| व्यवसायिक भूखण्ड-सी०पी०- 1 | 01 | | 81.00 | 19488.00 |
| झूसी योजना सं०-2, इलाहाबाद | | | | |
| दुकान संख्या-एस- 2 / 33 | 01 | | 13.59 | 4.40 |
| दुकान संख्या-एस- 2 / 11 | 01 | | 16.56 | 8.40 |
| दुकान संख्या-एस- 2 / 10 | 01 | | 14.32 | 7.30 |
| झूसी योजना सं०-3, इलाहाबाद | | | | |
| नर्सिंग होम भू०- 8-15 / 3 | 01 | | 462.04 | 15680.00 |
| महादेव झारखण्डीय योजना, गोरखपुर | | | | |
| दुकान संख्या-एस- 10 | 01 | | 8.53 | 3.45 |
| डोमरोली योजना, मिर्जापुर | | | | |
| व्यवसायिक भूखण्ड- 105 | 01 | | 174.00 | 12320.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड- 110 | 01 | | 144.00 | 12320.00 |
| व्यवसायिक भूखण्ड- 114 | 01 | | 289.45 | 12320.00 |
| दुकान संख्या एस- 2, 3 | 02 | | 9.39 | 3.77 |
| दुकान संख्या एस- 6 | 01 | | 15.15 | 6.00 |
| दुकान संख्या एस- 7 | 01 | | 18.71 | 7.40 |
| दुकान संख्या एस- 10 | 01 | | 6.667 | 4.50 |
| दुकान संख्या एस- 11 | 01 | | 8.667 | 5.85 |
| व्यवसायिक भूखण्ड- 105, 110, 114, का एफ०ए०आर० 1.5, ग्राउण्ड कवरेज 50, अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर है। | | | | |

नोट :- भरतपुर योजना, गोण्डा में नवविकसित आवासीय भूखण्ड संख्या पी-1435, 1436, 1437, 1877 तथा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी०पी०-1861 / 1,2,3,4 एवं 5 के मध्य शासनादेश / परिषद आदेशान्तर्गत आरक्षण पात्रता झा निर्धारित किया जायेगा।

आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1.योजना/शहर का नाम.....
- 2.भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल.....
- 3.आवेदक का नाम.....
- 4.पिता/पति का नाम.....
- 5.पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता
- 6.दूरभाष / मोबाइल नं०
- 7.आरक्षण श्रेणी.....
- 8.संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या.....
- 9.निर्गतकर्ता बैंक का नाम.....
- 10.भुगतान का विकल्प.....
-आवेदक के हस्ताक्षर
-तिथि
-स्थान

नियम व शर्तें :-

1. आवेदन / सील बिल फार्म सम्बन्धित शहर / योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय / जोन कार्यालय से भी रु०-100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
- (2) सील बिल / आफर अकिंत करते हुए रु०-100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन / सील बिल फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय / जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए।
- (3) आबंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिल सम्बन्धित शहर / योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है :- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कम शॉपिंग काम्पलेक्स, जवाहर नगर, (भेलपुर) वाराणसी (सभी नगरों हेतु), वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु-स०प्र० कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 50/6 अलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, अंगूरी बाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु-सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा।
- (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- (5) आवासीय सम्पत्तियों का आबंटन शासनादेश / परिषद के प्रदेश सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा।
- (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2013 तक तथा सील बिल नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सांय 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है।
- (7) अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
- (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहां है, जैसी है" के आधार पर आबंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध / विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा।
- (10) आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए तथा उ०प्र० के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए।
- (11) एक आवेदक एक से अधिक भवन / भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अंतिम आबंटन हेतु एक ही भवन / भूखण्ड देय होगा तथा शेष आबंटन निरस्त किये जायेगे।
- (12) सील बिल देते समय लिफाफे के ऊपर योजना / सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- (13) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स०प्र० कार्यालय / जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है।
- (14) कार्जर की सम्पत्तियों पर परिषद नियमोंसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
- (15) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (15) आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

हमारा प्रयास आपका आवास

डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री)
0522-2236803

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website : <http://www.upavp.com>, e-mail : upavp@sancharnet.in